जलवायु परिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण पर नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री का सम्बोधन

22 अक्तूबर, 2009

इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन के उद्‌घाटन के लिए आपके बीच आकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम नशीद का हार्दिक स्वागत करता हूँ। राष्ट्रपति महोदय आप भारत के सम्मानित मित्र तो हैं ही, आप जलवायु परिवर्तन की भीषण चुनौती का सामना करने में वैश्विक सहयोग के अथक चैम्पियन भी हैं। दोनों ही रूपों में आपका स्वागत है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिष्ठित मंत्रियों और अन्य अतिथियों का भी मैं स्वागत करता हूँ।

विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपनी क्षमताओं को बनाने में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राष्ट्रपति नशीद, वैश्विक तपन से छोटे-छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व को पैदा हुए खतरों के प्रति विश्व भर में चेतना लाने के लिए हमेशा से जोर-शोर से आवाज उठाते रहे हैं।

हम अल्प विकसित और द्वीपीय देशों के सामने मौजूद खतरों के प्रति काफी गहराई से चिन्तित हैं। हमारे यहां भी द्वीपों की श्रृंखलाओं और निचले तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ऐसे लोगों की संख्या काफी अधिक है जो जलवायु परिवर्तन के इस जोखिम भरे पहलू का सामना कर रहे हैं। हमारे पास इन समस्याओं का सामना करने हेतु जो भी थोड़ी बहुत क्षमताएं हैं, वे मालदीव जैसे देशों को भी उपलब्ध होंगी।

विकासशील देशों के समक्ष समस्या यह है कि पर्यावरणीय लागत को न्यूनतम स्तर पर बनाए रखने के साथ-साथ किस प्रकार अपने वैकासिक लक्ष्य को हासिल किया जाए।

विकासशील देश विकास के मामले में न तो कोई समझौता कर सकते हैं और न ही करेंगे। परन्तु विश्व समुदाय का सम्मानित सदस्य होने के नाते, हम यह भी मानते हैं कि, विश्व समुदाय के अन्य सदस्यों की भांति हम भी अपने कार्बन उत्सर्जन को इस स्तर पर बनाए रखने का प्रयास करें जो धारणीय और साम्यपूर्ण हो।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में प्रौद्योगिकी और उसका विस्तार ही मुख्य तत्व होगा।

हमारे सामने, मुख्य मुद्दा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास का है और तदुपरान्त उनका वाणिज्यिक उपयोग होने के बाद, निर्धन विकासशील देशों में उसको बड़े पैमाने पर अपनाये जाने में लगने वाले समय को कम से कम करना है। हमें ऐसे प्रौद्योगिकीय समाधानों की जरूरत है, जो उपयुक्त हों, किफायती हों और जो वास्तव में प्रभावी हों।

इसके लिए उपयुक्त वित्तीय व्यवस्था का भी प्रबंध करना होगा ताकि तकनीकी हस्तान्तरण आसानी से हो सके। औद्योगिक देशों के पास नई ऊर्जा कुशल प्रकियाओं के हस्तांतरण की क्षमता है, भले ही इसमें कुछ ज्यादा लागत आती है। विकासशील देशों के पास यह क्षमता नहीं है। अतः यह उचित ही होगा कि उनको जो तकनीक दी जाए उसको लगाने के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता भी दी जाए। आशा की जाती है कि जैसे-जैसे नई प्रौद्योगिकी का विस्तार होगा, उसकी लागत में कमी आती जाएगी और उसका अधिकाधिक उपयोग हो सकेगा। परन्तु प्रारंभ में विकासशील देशों में इसके हस्तांतरण के लिए वित्तीय समर्थन की अत्यन्त आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को इस महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में प्रभावी और सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।

हमारा विश्वास है कि क्योटो समझौते (प्रोटोकॉल) की दूसरी संकल्प अवधि में विकासशील देशों में जलवायु हितैषी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए।

क्योटो समझौते के तहत स्वच्छ विकास तंत्र ने जहां अनेक विकासशील देशों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने में प्रभावी भूमिका निभाई है, वहीं विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की लागत में कमी लाने में मदद भी की है। सीडीएम (स्वच्छ विकास तंत्र) से प्राप्त होने वाले राजस्व से प्रायः नवीन और स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने से जुड़े जोखिमों का दंश कुछ कम हो जाता है।

जलवायु के अनुकूल और पर्यावरण की दृष्टि से उपयोगी प्रौद्योगिकियों को वैश्विक सार्वजनिक उत्पाद के रूप में देखा जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि इन वस्तुओं के लिए आईपीएमआर (बौद्धिक संपदा अधिकार) व्यवस्था को नवाचारी उद्यमियों को संतुलित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए ताकि मानव जाति के कल्याण को प्रोत्साहन मिले। जहां एक ओर हमें नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था शुरू करनी होगी, वहीं उसे कम खर्च पर विकासशील देशों में लागू करने की सुविधा भी प्रदान करनी होगी।

इस तरह का दृष्टिकोण, एचआईवी एड्स के पीड़ितों के मामले में विकासशील देशों में औषधीय प्रौद्योगिकियों के मामले में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। हमारी धरती और उसकी जीवनदायी प्रणाली को सुरक्षित बनाए रखने में इसी तरह का नैतिक दृष्टिकोण भी समान रूप से महत्त्वपूर्ण है।

तकनीकी हस्तांतरण में एक प्रमुख बाधा अनेक विकासशील देशों की उसे अपनाने की कमजोर क्षमता है। मानकों को जबरन एक जैसा बनाए जाने से इस स्थिति से छुटकारा नहीं मिलेगा। इन नई प्रौद्योगिकियों की क्षमता का लाभ उठाने के लिए हमें अनेक देशों की नवाचारी क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना होगा।

भारत ने जलवायु नवीकरण केन्द्रों (सीआईसी) का अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया है, जो नई तकनीक के आविष्कार के साथ-साथ विकासशील देशों में उस तकनीक को अंगीकार करने की क्षमता विकसित करने के लिए माध्यम का काम करे।

इन केन्द्रों को स्थानीय रूप से सार्थक महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की पहचान और आकलन करना चाहिए और उनके सफल तथा त्वरित विकास के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस तरह के प्रत्येक केन्द्र को एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय उत्पाद पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन की समस्या के निराकरण के लिए काम आ सके। उनके कार्यों में विभिन्न प्रौद्योगिकियों की क्षमता के विविध प्रयास और विकास तथा विस्तार में व्यापारिक एवं कानूनी बाधाओं के समाधान का प्रयास भी शामिल होना चाहिए। विभिन्न देशों में ये जलवायु नवीकरण केन्द्र अपने अनुभव के आदान-प्रदान से उन तकनीकों का संवरण कर और प्रगति भी कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन के नजरिए से हमारा विकास पथ अपेक्षाकृत अनुकूल ही रहा है। प्राथमिक ऊर्जा की हमारी प्रति व्यक्ति लागत विश्व औसत का एक चौथाई से भी कम रहा है और कार्बन डाई आक्साइड का हमारा उत्सर्जन विश्व के सबसे कम उत्सर्जक देशों में आता है। इसके अलावा हमारे उत्पादन की ऊर्जा तीव्रता से पिछले 30 वर्षों से लगातार गिरावट आ रही है।

इसके बावजूद यदि नई प्रौद्योगिकी से हमारी ऊर्जा कुशलता में वृद्धि नहीं होती और उत्सर्जन तीव्रता में कमी नहीं आती, तो जब भी सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, हमारी ऊर्जा की खपत और कुल उत्सर्जन भी बढ़ेगा।

मैंने पहले भी कहा है कि हम इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि हमारा प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों के औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से अधिक नहीं होगा। जलवायु परिवर्तन की दीर्घकालीन वैश्विक व्यवस्था के लिये सभी देशों में प्रति व्यक्ति के आधार पर ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जन में समानता कायम करना ही वास्तव में एक उचित और तार्किक आधार होगा।

मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि विकसित देश अपने प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को सहनीय स्तर पर लाने का गंभीर प्रयास करेंगे तो वे अनुसंधान के लिये काफी संसाधन जुटा सकेंगे। इससे प्रौद्योगिकी के विकास में तेजी आएगी और अन्य देशों को भी उनका अनुसरण करना सरल हो जाएगा।

इस बीच, हम वह सब करने के प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे सामर्थ्य में है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिये भी अपने स्थायी विकास की रणनीति को विकसित और उसे लागू करने के प्रति वचनबद्ध हैं। भारत, अपने जलवायु परिवर्तन प्रबंधन के विस्तार के लिये उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई घरेलू स्तर पर करेगा। हमारे प्रयास अर्थव्यवस्था की ऊर्जा कुशलता व सम्बंधित समयबद्ध परिणामों को हासिल

करने के लिये होंगे। इसके साथ ही हमारे ईंधन भंडारों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के साथ इस क्षेत्र से जुड़े अन्य विशेष प्रयासों की ओर भी जोर दिया जाता रहेगा।

हमारे ये लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में शामिल हैं। इस कार्ययोजना में 8 राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित किये गए हैं जो शमन और अपनाने पर जोर देते हैं।

कहने की आवश्यकता नहीं कि कोपेनहेगन में व्यापक, संतुलित और सर्वोपरि, समानधर्मी निष्कर्ष हमें इन सब क्षेत्रों में और अधिक प्रयास करने में मदद करेंगे।

अब जब हम कोपेनहेगन की तैयारी में लगे हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि बाली सम्मेलन में जो आम राय बनी थी उस पर कायम रहा जाये। हमारा लक्ष्य जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के सिद्धांतों और प्रावधानों के क्रियान्वयन का विस्तार करना है।

हमें बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिये एक सुगठित और विस्तृत प्रणाली लागू करने के लिये काम करना होगा। हमें प्रौद्योगिकी चक्र के सभी चरणों-अनुसंधान से लेकर नए-नए आविष्कारों तक नई प्रौद्योगिकियों के विकास और उन्हें अपनाने से लेकर मौजूदा और परिपक्व प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण तक सभी को प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे।

हमें, भविष्य में प्रौद्योगिकीय हस्तांतरण के लिये समूचे विश्व के सहयोग से सर्वोत्तम वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक संसाधनों को एक साथ वैश्विक मंच पर लाने का प्रयास करना होगा। हमारे मार्ग दर्शन के लिये कई अच्छे दृष्टान्त हैं जिनमें आईटीईआर परियोजना अथवा विलयन ऊर्जा परियोजना और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह (सीजीआईएआर) शामिल हैं।

आपके इस सम्मेलन से निश्चित ही अपेक्षायें काफी अधिक हैं। सरकार और उसके बाहर, सभ्य समाज के सभी लोग, आपकी चर्चा पर नजर रखेंगे और अनुसरण करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में वैश्विक प्रयासों में हरसंभव रचनात्मक योगदान देगा।

***